संख्या-341/2021/215आ/23-11-2021-1/2(35)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ::दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय:-प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वारा की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य की योजना के अन्तर्गत 25 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-3699नि/143-01नि/2020-21, दिनांक 02-03-2021, पत्रांक-2979नि/155-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3739नि/155-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3667नि/101-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3741नि/155-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3646नि/101-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3685नि/125-02नि/20-21, दिनांक 05-03-2021, पत्रांक-3778नि/118-01नि/20-21, दिनांक 04-03-2021, पत्रांक-3762नि/131-01नि/20-21, दिनांक 03-03-2021, पत्रांक-3767नि/131-01नि/20-21, दिनांक 08-03-2021, पत्रांक-3829नि/140-01नि/20-21, दिनांक 08-03-2021, पत्रांक-3761नि/132-02नि/20-21, दिनांक 05-03-2021 एवं पत्रांक-3641नि/141-01नि/20-21, दिनांक 16-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वारा की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य की योजना के अन्तर्गत अधोलिखित 25 कार्यो की कुल आंकलित लागत रू0 1714.84 लाख (रूपये सत्रह करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत के सापेक्ष रू0 53.41 लाख (रूपये तिरपन लाख इकतालिस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	सुल्तानपुर नि0ख0-3	जनपद सुल्तानपुर में गोपालपुर नरेन्दापुर सम्पर्क मार्ग से मरीमाई धाम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.600 कि0मी0)	95.14	3.00
2	अम्बेडकर नगर प्रा0ख0	जनपद अम्बेडकर नगर में राजस्व ग्राम जैतपुर निधियांवा में रामचेरे बाबा के मंदिर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.150 कि0मी0)	13.76	1.00
3	अम्बेडकर नगर नि0ख0	जनपद अम्बेडकर नगर में परूइया आश्रम श्री सेवाराम वर्मा जी कालीमाता मंदिर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 2.50 कि0मी0)	141.28	4.00
4	अलीगढ़ प्रा0ख0	जनपद अलीगढ़ में भोजपुर से जहारवीर बाबा मंदिर होकर प्राचीन शिव मंदिर भोजताल के लिये मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.250 कि0मी0)	90.83	2.00
5	अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकर नगर में शिव मंदिर को जोड़ने वाले कन्नूपुर लखनियां बडेपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चै0 0.00 से 1.100 तक	171.47	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नि0ख0	में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.100 कि0मी0)		
6	अलीगढ़ प्रा0ख0	जनपद अलीगढ़ में सतनाम स्वामी सेवा आश्रम दत्ताचोली खुर्द सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.750 कि0मी0)	62.45	2.00
7	अलीगढ़ प्रा0ख0	जनपद अलीगढ़ में रामपुर चंदियाना मार्ग से सिद्धमढ़ी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.50 कि0मी0)	124.72	3.00
8	चित्रकूट नि0ख0-1	जनपद चित्रकूट में बरयारी मार्ग से हनुमान मंदिर पहुँच मार्ग का निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.590 कि0मी0)	33.73	1.00
9	प्रयागराज नि0ख0-3	जनपद प्रयागराज में सुजावन देवता मार्ग से देवरिया ग्राम तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.300 कि0मी0)	14.31	1.00
10	प्रयागराज नि0ख0-3	जनपद प्रयागराज में सुजावन देवता मार्ग से काली मंदिर होते हुए घुरपुर प्रतापपुर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.350 कि0मी0)	16.58	1.00
11	प्रयागराज नि0ख0-3	जनपद प्रयागराज में वासुदेव मंदिर से शीतला माँ के मंदिर तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.200 कि0मी0)	9.40	1.00
12	प्रयागराज नि0ख0-3	जनपद प्रयागराज मे सुजावन देवता मार्ग से प्राचीन गणेश मंदिर तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.350 कि0मी0)	16.45	1.00
13	लखनऊ नि0ख0-1	जनपद लखनऊ में समाधानपुरवा गांव से मुख्य मार्ग से हनुमान मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 0.090 लम्बाई)	15.88	1.00
14	रायबरेली नि0ख0-1	जनपद रायबरेली में पूरे नया से शिव मंदिर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.070 कि0मी0)	6.60	1.00
15	अयोध्या नि0ख0-2	जनपद अयोध्या में जलालपुर पहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग से विध्नेश्वर नाथ महादेव धाम तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (लम्बाई 1.80 कि0मी0)	127.88	4.00
16	अयोध्या नि0ख0-2	जनपद अयोध्या मे अख्यपुर सम्पर्क मार्ग से श्री वैष्णव धाम गोसाईंतारा कुटी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (लम्बाई 1.70 कि0मी0)	102.04	3.00
17	सीतापुर प्रा0ख0	जनपद सीतापुर में सिद्ध बाबा मंदिर मार्ग का नव निर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.450 कि0मी0)	98.10	2.41
18	सीतापुर प्रा0ख0	जनपद सीतापुर में जबदा बाबा मंदिर (भोलेनाथ) मार्ग का नव निर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.200 कि0मी0)	80.84	2.00
19	सीतापुर प्रा0ख0	जनपद सीतापुर में महामाई माता मंदिर मार्ग का नव निर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.950 कि0मी0)	130.88	4.00
20	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच में भिलौरा बासू से डण्डी (ढड्डी गुरूद्वारा) मंदिर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.20 कि0मी0)	104.94	3.00
21	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच में जनतापुर में महादेवा घाट के शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.50 कि0मी0)	74.77	2.00
22	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच में बटुरहा में बाबा मुण्डादास मंदिर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.90 कि0मी0)	83.55	2.00
23	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच में जीरूपुरवा सम्पर्क मार्ग से बभनपुरवा में स्थित रामजानकी मंदिर होते हुए बड़कदास कुट्टी तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.00 कि0मी0)	66.39	2.00
24	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच मे जगतापुर मे हनुमान मंदिर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.10 कि0मी0)	6.44	1.00
25	बहराईच नि0ख0-1	जनपद बहराइच में नन्दवल में जागेश्वरीपुरी मंदिर मठ तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 0.40 कि0मी0)	26.41	1.00
		योग:-		

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रयोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि चार्जेज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(10) विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी0-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1349-प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1037/दस-21, दिनांक 25 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-341/2021/215आ(1)/23-11-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।